[2022] 8 एस. सी. आर. 19

केंद्रीय वित्तीय सेवाएँ सीमित

ए.

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. का राज्य। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 94) 28 जनवरी, 2022

बी.

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

जमानत-गैर-प्रासंगिक कारकों पर विचार-दंड संहिता, 1860। 409 , 420 , 467 , 468 , 471 और 120 बी-वाणिज्यिक लेनदेन-उत्तरदाता सं। 2 - अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः जारी करते समय उत्तरदाता सं। 2 सी जमानत पर, उच्च न्यायालय ने आरोप की प्रकृति और गंभीरता सहित प्रासंगिक कारकों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है; भारी राशि की हेराफेरी के गंभीर आरोप, कार्यप्रणाली और जिस तरह से अपराध नकली कंपनियों के माध्यम से किए गए थे और कर्मचारियों के झूठे/जाली दस्तावेज और/या डी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया था और उन्हें नकली और नकली कंपनियों के निदेशक के रूप में दिखाया गया था-उच्च न्यायालय ने भी इस पर विचार नहीं किया है।

आई. ओ. द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करें जिसमें बताया गया है कि अभियुक्तों ने कैसे व्यवस्थित रूप से अपराध किया है और

समर्पण करें। जमानत रद्द करना-अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य-याचिका आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इस प्रकार जमानत रद्द नहीं की जा सकती हैः कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, स्वतंत्रता के दुरुपयोग और/या जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन के किसी भी आरोप के अभाव में, जमानत को तब दरकिनार नहीं किया जा सकता है जब जमानत देना ही विषय हो।

जी.

अपील/पुनरीक्षण में चुनौती-प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग-अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए और यह कि एक आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश-इस प्रकार, बहुत ठोस और भारी परिस्थितियों में जमानत एच हो सकती है

20

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रद्द किया गया-जहां कोई न्यायालय जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, तो एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को न्यायोचित रूप से दरकिनार कर सकता है-इसलिए अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश दिमाग के गैर-आवेदन या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से ग्रस्त है। बी.

विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों का जमानत अनुदान-चर्चा की गई।

प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 11 एस. सी. सी. 648; गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1978) सी 1 एस. सी. सी. 118: [1978] 2 एस. सी. आर. 358; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्र। (2010) 14 एससीसी 496: [2010] 12 एस. सी. आर. 1165; नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2016) 15 एस. सी. सी. 422 [2015] 10 एस. सी. आर. 802; अनिल कुमार बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2018) 12 एस. सी. सी. 129: [2017] 11 एस. सी. आर. 195; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी.

डी.

दिल्ली और ओआरएस। (2001) 4 एससीसी 280: [2001] 2 एस. सी. आर. 684; महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और एक अन्य (2020) 2 एससीसी 118: [2019] 14 एस. सी. आर. 529 पर भरोसा किया। दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एस. सी. सी. 349: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 69; एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (2018)

ई.

16 एस. सी. सी. 511 [2018] 4 एस. सी. आर. 466 संदर्भित। मामला कानून संदर्भ

[1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 69 संदर्भित

पैरा 4.2

[2018] 4 एससीआर 466

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

एफ.

(2020) 11 एस. सी. सी. 648

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.2

[1978] 2 एससीआर 358

पैरा 4.2

उस पर भरोसा करें

[2010] 12 एससीआर 1165

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

जी [2015] 10 एससीआर 802

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.1

[2017] 11 एससीआर 195

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.2

[2001] 2 एससीआर 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.2

[2019] 14 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा 12.1

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

ए.

94 2022 तक। 2020 के जमानत आवेदन No.2442 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ दवे, आशुतोष कुमार, सुश्री नमिता चौधरी, सुश्री सृष्टि खुराना, सुश्री कृतिका खुराना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। मुकुल रोहतगी, विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चिराग एम. श्रॉफ, रोशन संथालिया, विकास सेठी, सुश्री पूजा जाखर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे. 1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के जमानत आवेदन No.2442 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को अनुमति दी है और निर्देश दिया है कि उसे 2019 पीएस आर्थिक अपराध शाखा की नई दिल्ली में प्राथमिकी डी No.128 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए।
मूल शिकायतकर्ता ने आई. पी. सी. की धारा 409,420,467,468,471 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि यहाँ अपीलार्थी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है

(पहले मेसर्स एल. एम. जे. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), प्रतिवादी संख्या 2 जयंत कुमार जैन-प्रबंध निदेशक और अन्य अपराधों के लिए। आई. पी. सी. की धारा 409,420,467,468,471 और 120 बी के तहत। अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि वह मैसर्स अरनाथ लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक है जो कृषि और गैर-वस्तुओं के बहु-वस्तु व्यापार के व्यवसाय में लगा हुआ है। कि लिखित समझौते के माध्यम से अभियुक्त ने शिकायतकर्ता कंपनी से 180 दिनों की अवधि के लिए Rs.25 करोड़ की ऋण क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। यह आरोप लगाया गया था कि Rs.25 करोड़ की उक्त राशि वर्ष 2017 में वितरित की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि Rs.25 G करोड़ की उक्त राशि का उपयोग कंपनी द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जाना आवश्यक था। यह भी आरोप लगाया गया कि ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से कोई स्टॉक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था और दोनों पक्षों के बीच सहमति के अनुसार बंधक भी नहीं बनाया गया था। यह आगे आरोप लगाया गया कि समझौते में उल्लिखित उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग करने के बजाय वही था

कई नकली/मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि ऋण का लाभ उठाते समय अभियुक्त ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया

अभियुक्त की कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता। यह भी आरोप लगाया गया कि लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि को ऐसी मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया था जो आरोपी द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई थीं और बैंक खाता खोला गया था

बी.

उन कर्मचारियों की पहचान के जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके उन कंपनियों के लेन-देन के लिए और उक्त राशि को आगे अन्य कंपनियों को भेज दिया गया जो अभियुक्तों से जुड़ी थीं। यह आगे आरोप लगाया गया कि उन मुखौटा संस्थाओं के निदेशक

उन्होंने कहा है कि उन्होंने उक्त नाम सी में बैंक खाता नहीं खोला है या कहा है कि फर्म और उनके केवाईसी फॉर्म का अभियुक्तों द्वारा दुरुपयोग किया गया था। आगे यह आरोप लगाया गया कि Rs.15 करोड़ की राशि एक अन्य कंपनी-LMJ इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी और उक्त राशि का उपयोग निगम बैंक, कलकत्ता के साथ उक्त कंपनी की पिछली देनदारी के खिलाफ स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद

अपीलार्थी की शिकायत पर जाँच-मूल

डी.

शिकायतकर्ता, आर्थिक अपराध शाखा ने प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद, प्राथमिकी No.128 दर्ज की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 को 03.07.2020 पर गिरफ्तार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने धारा 437 Cr.P.C के तहत जमानत की मांग करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। नियमित जमानत के लिए एक और जमानत ई आवेदन 2020 का जमानत आवेदन No.903 प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त की ओर से सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया था। उक्त जमानत आवेदन का आई. ओ. द्वारा विरोध किया गया था। एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे 25 करोड़ की राशि का गबन किया गया और अन्य मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित किया गया और उक्त राशि का उपयोग कैसे किया गया।

एफ.

अन्य कंपनियों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2। एक विस्तृत बोलने वाले आदेश द्वारा 04.08.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कि इसके बाद, प्रत्यर्थी नं। 2 - अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान जमानत याचिका दायर

की। विस्तृत स्थिति रिपोर्ट आई. ओ. की ओर से दायर की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र जी दायर किया गया है। विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे मेसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा उपयोग किए जाने वाले Rs.25 करोड़ की राशि को शेल और मेसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था और कैसे एक व्यवस्थित धोखाधड़ी की गई थी। उपरोक्त के बावजूद, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को रिहा करने का निर्देश दिया है।

3. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने वाले विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।
B. 3.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश 17.12.2020 के माध्यम से उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद और उसके बाद मामले को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया, 08.01.2022 पर याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) ने आपराधिक होने के कारण एक आवेदन दायर किया।

2022 का विविध आवेदन No.4818 सी. को वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगता है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच 08.01.2022 पर एक समझौता समझौता किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) अब समझौते को देखते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। उक्त आवेदन की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा 10.01.2022 पर की गई थी। इस न्यायालय ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति देने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाई कि याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) को प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कि इसके बाद याचिकाकर्ता ई (अपीलार्थी) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उक्त आवेदन वापस ले लिया। कि इसके बाद वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को योग्यता के आधार पर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए संबंधित पक्षों के विद्वान वकील के अनुरोध पर 17.01.2022 तक स्थगित कर दिया गया था।

4.1 प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और जी परिस्थितियों में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवाद वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाली नागरिक प्रकृति का है और जांच समाप्त हो गई है और मामला पहले से ही दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है
जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान एकत्र किया गया जो जब्त कर लिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का विवादित आदेश 14.09.2020 और H [2022] 8 S. C. R. पर है।

इसके बाद ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने बीच में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और जांच के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने सहयोग किया है और न तो शिकायतकर्ता और न ही राज्य जमानत आवेदन का गंभीरता से विरोध कर रहे हैं, यह न्यायालय जमानत को रद्द नहीं कर सकता है। 4.2 प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बी श्री रोहतगी द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में Rs.25 करोड़ में से Rs.15 करोड़ रुपये सहयोगी कंपनी एलएनजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए थे और सहयोगी कंपनी ने अपने ऋण का भुगतान कर दिया था जिसे अपराध नहीं कहा जा सकता है।

4.3 प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने इस मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

सी.

दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एस. सी. सी. 349; एक्स बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 511; प्रभाकर तिवारी बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 16 एस. सी. सी. 511 का मामला।

उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 11 एस. सी. सी. 648 के साथ-साथ गुरचरण सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। राज्य (दिल्ली प्रशासन)

(1978) 1 एस. सी. सी. 118 उनकी इस दलील के समर्थन में कि एक बार उच्च न्यायालय और/या उसके नीचे के न्यायालय द्वारा जमानत डी दिए जाने के बाद इसे तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने जमानत आदेश के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है और/या उसे जमानत पर रिहा करते समय उसे दिखाई गई किसी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और/या कोई अन्य विशिष्ट परिस्थितियां हैं।

4.4 . उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

ई.

वर्तमान अपील। 5. विद्वान वकील द्वारा वर्तमान अपील का विरोध किया जाता है

उत्तरदाता-राज्य। राज्य की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि राज्य ने उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष 09.09.2020 पर स्थिति रिपोर्ट दायर की थी।

एफ.

प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमानत का विरोध किया। हालाँकि, उस स्तर पर, आगे की जाँच चल रही थी और एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी था। अब वही दायर किया गया है। राज्य इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों/आदेश का पालन करेगा।

6. स्थिति रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा व्यवस्थित जी धोखाधड़ी की गई है और अन्य अन्य शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में Rs.25 करोड़ की हेराफेरी कर रहे हैं।

नकली और गैर-मौजूद पाया गया। आगे की जाँच के लिए एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया जाता है। एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है।

यह बताते हुए कि कैसे शेल संस्थाओं का उपयोग अभियुक्त की मुख्य कंपनी यानी एल. एम. जे. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को धन हस्तांतरित करने के लिए वाहक संस्थाओं के रूप में किया गया था।

7. हमने ए संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को रिहा करने का निर्देश दिया है

नं. 2 जमानत पर मुख्य रूप से इस आधार पर कि मामला वाणिज्यिक बी लेनदेन से उत्पन्न होता है और पहले से ही जब्त किए गए दस्तावेजों पर आधारित है। पैरा 16 में प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय एकमात्र तर्क है, जो इस प्रकार हैः

" 16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सह-अभियुक्त नवीन कुमार जैन और हुलास चंद सी जैन एस. ए. एल. एल. के साथ-साथ एल. एम. जे. आई. एल. के अन्य निदेशक और शेयरधारक थे। उन्होंने "कार्यशील पूंजी मांग ऋण" के खिलाफ एस. ए. एल. एल. के निदेशक के रूप में शिकायतकर्ता कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी पर भी हस्ताक्षर किए। नवीन जैन ने त्रिपक्षीय बंद-लेने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे

डी.

एलएमजेआईएल के निदेशक। उन दोनों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था और उनके खिलाफ बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया था। दो साल की जांच/जांच के दौरान, याचिकाकर्ता कई मौकों पर जांच में शामिल हुआ। उनकी गिरफ्तारी के बाद, ईओडब्ल्यू ने केवल एक दिन की पी. सी. रिमांड की मांग की। न तो स्थिति रिपोर्ट में और न ही बहस के दौरान, कोई आशंका दिखाई गई थी कि याचिकाकर्ता को "भागने का जोखिम" है। मामला एक वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न होता है और उन दस्तावेजों पर आधारित होता है जो पहले से ही जब्त किए गए हैं। याचिकाकर्ता पहले ही एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर चुका है जहाँ इस पर रोक लगा दी गई है

परिसंपत्तियाँ/संपत्तियाँ घोषित की गई हैं और एक आई. आर. पी. नियुक्त की गई है। शिकायतकर्ता पहले ही एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर चुका है।

एफ.

9. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि जारी करते समय

जमानत पर प्रतिवादी संख्या 2 उच्च न्यायालय ने आरोप की प्रकृति और जांच के दौरान पाई गई/एकत्र की गई सामग्री और विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से भारी राशि की हेराफेरी के गंभीर आरोपों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है और/या उन पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र किए गए किसी भी आरोप और/या सामग्री पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

आई. ओ. द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में विशेष रूप से इंगित और उल्लेख किया गया है। स्थिति रिपोर्ट और यहां तक कि आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र से भी यह मामले के दौरान पाया गया है।

जांच कि शिकायतकर्ता एच 26 द्वारा Rs.25 करोड़ की राशि वितरित की गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता संख्या 2 और उसकी कंपनी मेसर्स एल. एम. जे. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। उक्त राशि अपने उपयोग के लिए वितरित की गई थी। जाँच के दौरान, यह पाया गया है कि उक्त राशि विभिन्न कंपनियों/संस्थाओं को निम्नानुसार डेबिट की गई थीः

लाभार्थी फर्म

वाउचर राशि (में)

श्री. नहीं। तिथि

बी.

नहीं।

रु.)

1 . 03.11.17 एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड निगम 8603881500,00,000/बैंक कोलकाता

2 . 06.11.17 साईराम एग्रोकॉर्प प्रा. लिमिटेड बंधन 860391 2,49,25,720/बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली

सी.

3 . 30.11.17 एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. आरबीएल बैंक लिमिटेड, 860407 2,00,00,000/कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
4 . 30.11.17 वासुदेव एग्रो फूड्स प्रा. लिमिटेड 860410 2,51,30,176/आईसीआईसीआई बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिल्ली

डी.

5 . 30.11.17 साईराम एग्रोकॉर्प प्रा. लिमिटेड बंधन 860405 99,98,874/बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली
6 . 30.11.17 वासुदेव एग्रो फूड्स प्रा. लिमिटेड, 860406 99,96,387/बंधन बैंक, कनॉट प्लेस,

दिल्ली

ई.

7 . 30.11.17 साईराम एग्रोकॉर्प प्रा. लिमिटेड बंधन 860409 98,74,563/बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली

9.1 जाँच के दौरान यह पाया गया है कि एफ. आर. 15 कुछ नकली कंपनियों के माध्यम से दूसरी कंपनी/एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड को करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए और उक्त दूसरी कंपनी-मेसर्स एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड ने उस राशि का उपयोग कॉर्पोरेशन बैंक, कोलकाता के अपने बकाया का भुगतान करने के लिए किया। जाँच के दौरान यह पाया गया है कि रुपये की राशि <ID1,720/- एक साईराम एग्रोकॉर्प प्राइवेट को हस्तांतरित की गई थी। लिमिटेड और इसे आगे एल. एम. जे. इंटरनेशनल को हस्तांतरित कर दिया गया

उसी दिन जी लिमिटेड। इसी तरह, वासुदेव एग्रो फूड्स प्राइवेट के खाते में रुपये 2,51,30,176/- की राशि हस्तांतरित की गई थी। लिमिटेड जिसमें से रु। एल्डेरा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में लगभग 1.82 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। लिमिटेड और इसे उसी दिन एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया। जाँच के दौरान, यह पाया गया है कि Rs.99,98,874/- और Rs.98,74,563/- की राशि केंद्रीय वित्तीय सेवाएँ सीमित थी।

दिल्ली और ए. एन. डी. आर. का एन. सी. टी. 27 राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

साइराम एग्रोकॉर्प प्रा. लि. के खाते में हस्तांतरित। लिमिटेड और समेकित ए रुपये की राशि 1,98,72,914/- को उसी दिन एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी पाया गया है कि आईडी1,96,387/- की राशि वासुदेव एग्रो फूड्स प्राइवेट को हस्तांतरित की गई थी। लिमिटेड और इसे उसी दिन एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, यह पाया गया है कि क्रेडिट सुविधा Rs.25 B तक है।

व्यावसायिक उद्देश्यों अर्थात कृषि या गैर-कृषि उत्पादों की बिक्री खरीद, लेकिन इसे जाली संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया है और जाली कंपनियों के माध्यम से देनदारियों को चुकाने के लिए तुरंत अन्य कंपनी मेसर्स एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। जाँच/आगे की जाँच के दौरान यह पता चला है कि साईराम एग्रोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और सी वासुदेव एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड नकली और नकली कंपनियाँ हैं और वे पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं हैं। जाँच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ कर्मचारियों को निदेशक बनाया गया था उनकी जानकारी के बिना और उनके केवाईसी और अन्य दस्तावेज थे

उनकी जानकारी के बिना दुरुपयोग किया गया। आरोप पत्र/पूरक डी आरोप पत्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जांच से पता चला है कि विचाराधीन खाते कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे ताकि वे विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें। यह आगे बताता है कि नकली कंपनियों को उन्हें सौंपे गए धन का दुरुपयोग/हेराफेरी करने के लिए बनाया गया था, जो उन्हें Rs.25 करोड़ के ऋण के रूप में सौंपा गया था। यह पता चला है कि बिक्री और खरीद का कोई वास्तविक लेन-देन नहीं था, लेकिन यह केवल शिकायतकर्ता से प्राप्त राशि को विभिन्न संस्थाओं को भेजना और फिर से भेजना था, जो वास्तव में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संचालित किया जा रहा था। ये सभी उपरोक्त आरोप और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री जो आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र का हिस्सा हैं, उच्च न्यायालय द्वारा एफ पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उच्च न्यायालय ने बस इसे नजरअंदाज कर दिया है और प्रतिवादी संख्या 2 को केवल यह देखते हुए जमानत पर रिहा कर दिया है कि मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और विवाद एक नागरिक प्रकृति का है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय प्रासंगिक विचारों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। यहां तक कि उच्च न्यायालय जी ने भी प्रतिवादी संख्या 2 की जमानत याचिका को खारिज करते हुए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। 9.2 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने में बिल्कुल भी उचित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस स्तर पर संबंधित पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय

ए.

जमानत देने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले विचारों को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्र के मामले में। , (2010) 14 एस. सी. सी. 496, जमानत को रद्द करते हुए और अभियुक्त को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए पैरा 9 से 12 में कहा गया है कि

बी.

इसके अंतर्गतः

" 9. हमारी राय है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से है

अस्थिर। यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, यह उच्च पर समान रूप से बाध्य है

सी.

न्यायालय इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करना इस प्रकार हैः

डी.

((i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

ई.

((iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;
((v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

एफ.

((vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

जी.

[यू. पी. बनाम की स्थिति देखें। अमरमणि त्रिपाठी [(2005) 8 एससीसी 21]

(एस. सी. सी पी. 31, पैरा 18), प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम। एन. सी. टी. दिल्ली [(2001) 4 एस. सी. सी. 280], और राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह [(2002) 3 एससीसी 598]। 10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय विज्ञापन नहीं देता है

एच.

ये प्रासंगिक विचार और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करते हैं, केंद्रीय वित्तीय सेवाएँ सीमित v.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 29 का राज्य दिल्ली और ए. एन. डी. [एम. आर. शाह, जे.]

उक्त आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग के दोष से पीड़ित होगा, ए इसे अवैध बनाता है। मसरूर [(2009) 14 एस. सी. सी. 286] में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ, जिसमें हममें से एक (डी. के. जैन, जे.) सदस्य थे, ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 290, पैरा 13) "66 13. ..... यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले के 'ख' गुण को छूने वाले विस्तृत कारणों से बचा जाना चाहिए, जो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

सी.

11. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि तत्काल मामले में, जमानत देने के लिए अभियुक्त के आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय बुनियादी सिद्धांतों की दृष्टि पूरी तरह से खो देता है

ऊपर वर्णित है। वर्तमान मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने एक असहाय वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। कथित घटना के समय उसे एक पड़ोसी द्वारा पीड़ित के घर से बाहर निकलते देखा गया था, जिससे एक उचित विश्वास पैदा हुआ कि उसने हत्या की थी। हम महसूस करते हैं कि दी गई परिस्थितियों में, यह वह चरण नहीं था जिस पर आरोपी को संहिता की धारा 439 के तहत जमानत दी जानी चाहिए थी, विशेष रूप से तब जब अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।

डी.

ई.

12. यह भी ध्यान देने योग्य है कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन जमानत खारिज कर दी थी अभियुक्त के आवेदन लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे नहीं पाया

एफ.

इन आदेशों का संदर्भ देना भी सार्थक है। इस संबंध में कल्याण चंद्र सरकार बनाम में प्रतिध्वनित निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। राजेश रंजन [(2004) 7 एससीसी 528]: (एस. सी. सी पी. 536, पैरा 12)

" 12. जिन मामलों में पहले की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, उनके संबंध में अदालत पर एक और जिम्मेदारी है कि वह उन आधारों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए बाद के आवेदन पर विचार करे जिन पर पहले की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और इस तरह के विचार के बाद अगर अदालत की राय है कि जमानत दी जानी है तो उक्त अदालत को विशिष्ट कारण देने होंगे कि इस तरह के पहले एच 30 के बावजूद क्यों

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमानत के लिए बाद के आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए

ए.

दिया गया "।

10.1 नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र के मामले में। , (2016) 15 एस. सी. सी. 422, यह इस न्यायालय द्वारा पैरा 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 11. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि

बी.

जमानत देने के लिए आवेदन, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कुछ कारकों को ध्यान में रखे और वे मूल रूप से हैं: ((i) दोषसिद्धि के मामलों में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, (ii) शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका के लिए गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, और (iii) मामले में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

सी.

शुल्क का समर्थन। (चमन लाल बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, (2004) 7 एस. सी. सी. 525 "

10.2 अनिल कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2018) 12 एस. सी. सी. 129 में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार हैं, (i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii)

डी.

साक्ष्य और परिस्थितियों का चरित्र जो विशिष्ट हैं अभियुक्त; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव, समाज पर इसका प्रभाव; और (v) उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना।

10.3 प्रहलाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली का एन. सी. टी. और

ई.

ओआरएस। , (2001) 4 एस. सी. सी. 280, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत देने की अधिकारिता का प्रयोग प्रत्येक मामले की

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इन आधार पर किया जाना चाहिए -

एफ.

प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत, न कि मनमाने तरीके से। जमानत देते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धि के लिए आवश्यक होगी, अभियुक्त के चरित्र, व्यवहार, साधन और स्थिति, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता या राज्य के व्यापक हितों और इसी तरह के अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के उद्देश्यों के लिए विधानमंडल ने 'उचित' शब्दों का उपयोग किया है।

जी.

केंद्रीय वित्तीय सेवाएँ सीमित V. एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

'साक्ष्य' के बजाय 'विश्वास करने के लिए आधार' जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित अदालत केवल इसे संतुष्ट कर सकती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

शुल्क "। 11. उपरोक्त बी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

12. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि अभियुक्त को आई. डी. 1 और ई. पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है, कि उसके बाद स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इसलिए जमानत रद्द नहीं की जा सकती है और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है, विशेष रूप से एक्स (सुप्रा) के मामले में, आरंभ में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

अभियुक्त को रिहा करना-प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर यंत्रवत रूप से और प्रासंगिक तथ्यों को स्वीकार किए बिना और आरोप और आरोपों की प्रकृति और आरोप की गंभीरता पर विचार किए बिना पारित किया गया है। यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, उनमें भी जी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, हालांकि उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे सकता था, स्वतंत्रता के दुरुपयोग और/या जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन के किसी भी आरोप के अभाव में, जमानत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है जब जमानत देना ही अपील/संशोधन में चुनौती का विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.1 जो देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है वह यह है कि ए में जमानत की अस्वीकृति

ए.

प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग-अलग आधारों पर विचार किया जाना चाहिए और यह कि एक आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देना। इसलिए, बहुत ठोस और भारी परिस्थितियों में जमानत रद्द की जा सकती है। में।

बी.

इस चरण में महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और एक अन्य, (2020) 2 एस. सी. सी. 118 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि यह न्यायालय सामान्य रूप से जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है, तथापि, जहां उच्च न्यायालय के सी को जमानत देने के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विवेक के बिना किया गया है और इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, जमानत देने का ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है। इसके बाद जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय अदालत की शक्ति और जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के बीच अंतर करने के बाद, अनुच्छेद 16 में यह देखा जाता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता हैः

" 16. जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय अदालत की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़े होते हैं। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या मनमाना आदेश था।

ई.

जमानत देने में विवेकाधिकार का प्रयोग। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अन्यायपूर्ण है। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के आवेदन की जांच आम तौर पर पर्यवेक्षण के अस्तित्व के आधार पर की जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों की परिस्थितियाँ या उल्लंघन

एफ.

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 508], अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। की स्थिति उत्तर प्रदेश, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 16031]। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 16031]

जी.

उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण किया जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं। दीपक मिश्रा, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अभिनिर्धारित कियाः (नीरू यादव मामला [नीरू यादव बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508], एस. सी. सी. पी. 513 , पैरा 12)

केंद्रीय वित्तीय सेवाएँ सीमित V. एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि ए के बाद जमानत को रद्द करने की अनुमति इसलिए दी जाती है क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस तरह की शर्तों को पूरा करती हैं।

रद्द करना एक अलग डिब्बे में हुआ है

पूरी तरह से जमानत देने वाले आदेश जो अन्यायपूर्ण, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग दायरे में है। द्वितीय प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय सी अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है।

12.2 इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जहां एक न्यायालय डी जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को न्यायोचित रूप से रद्द कर सकता है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से ग्रस्त है।

ई 13. उपरोक्त से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी को रिहा करते समय

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई स्थिति रिपोर्ट और साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और उन पर विचार नहीं किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का विवादित निर्णय और आदेश जी है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय न्यायसंगत रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है और उन प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया है जिन पर जमानत देते समय विचार किया जाना आवश्यक है।

ए.

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए,

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने और परिणामस्वरूप जमानत को रद्द करने के विवादित फैसले और आदेश को रद्द करने और रद्द करने पर,

बी.

उत्तरदाता नं. 2 - अभियुक्त को संबंधित न्यायालय/जेल प्राधिकरण के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करना। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगी और वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों को विवादित निर्णय तक ही सीमित माना जाएगा।

सी.

जमानत देना। यह भी देखा गया है कि समर्पण के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए तीन महीने की अवधि के बाद नए सिरे से उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एक उचित आवेदन दायर करने का अधिकार होगा, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर विचार किया जाएगा और जांच के दौरान एकत्र की गई प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद जो आरोप पत्र/आगे के आरोप पत्र का हिस्सा है और जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)